

2026:AHC:53127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9634/2026

श्रीमती फूलकली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: ब्रिज बिहारी यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 7955 वर्ष 2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202402030207955 का निस्तारण यथाशीघ्र करें।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)



16 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.